

आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

सं० 605

दिनांक 13-4-22

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0, राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/ उद्यमों/ एजेंसियों/ निगमों/ बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल- चतरा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है:-

राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-99 के चतरा बाईपास सड़क निर्माण के लिए भू-हस्तानांतरण हेतु:-

क्र०	योजना का नाम	अंचल	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	गैरमजरुआ खास जंगल/जंगल झाड़ी का रकबा (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	घतरा बाईपास रोड (NH-99) निर्माण।	घतरा	पकरीया	174	13	82	0.4568	
			डाढा	157	99	700	4.6796	
						703	4.0271	
						702	0.6780	
						20	4.5191	
			मोहनाडीह	176	02	73	1.5694	
						77	4.3394	
						76	0.0667	
						79	5.4340	
						84	0.6032	
						1165	1.4725	
						1150	13.0071	
						1149	0.3134	
			देवरीया	183		126	1293	3.4161
						126	1292	0.1938
						126	1156	0.1403
						48	1300	0.6667
						126	1307	4.7753
						126	1308	5.8659
						126	869	0.1402
						126	1298	0.6440
			126	1140	4.3573			
			महापुर उर्फ बोलीया	238	2	3	9.5479	
			आरुदाना	235	07	78	0.7156	
						24	2.3033	
						80	5.6008	
						73	0.0985	
						30	0.119	
						61	2.7586	
			यानाराग	233	7	101	4.1837	
						160	0.0002	
158	4.4817							
40	2.0075							
बगमता	229	04	04	6.6881				
छाप	228	28	200	1.2192				
गिरवा	230	02	19	2.3716				
			17	7.6356				
बरारीया	226	04	01	1.8381				
			03	0.9670				
					कुल	113.8206 ए०		

194/P 222

Vandhikar Samiti Kullu Sys-2

Satyendra Prasad Singh,
Executive Engineer,
National Highway Division, Hazaribagh

उपर्युक्त वर्णित भूमि राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-९९ के चतरा बाईपास सड़क निर्माण के लिए भू-हस्तान्तरण हेतु कुल-113.8206ए(46.0625हे०) में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

जिला कल्याण पदा०,
चतरा।

अपर समाहर्ता,
चतरा।

उपायुक्त,
चतरा।

आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।

- ज्ञापांक 605 / रा०, दिनांक 13-4-22
- प्रतिलिपि:-
1. कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, उत्तरी/दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. उपायुक्त, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प संख्या-5/स०भू० लातेहार-1/2010 1817/रा०, राँची दिनांक-30.04.2015 में दिये गये निदेश के आलोक में Website के लिंक (Website के नाम सहित) एवं अद्यतन किये गये Upload संबंधी प्रतिवेदन विभाग को अवगत कराते हुए इसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।
 4. सरकार के अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।

Satyendra Prasad Singh,
Executive Engineer,
National Highway Division, Hazaribagh